उच्च न्यायालय, लखनऊ

<u>नीलामी सूचना</u>

<u>विषय :-</u> वाहन की नीलामी

<u>तिथि :-</u> 06/01/2024

<u>समय :-</u> प्रातः 11:00 बजे

<u>स्थान :-</u> उच्च न्यायालय, लखनऊ, गैराज के पास

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के निम्नलिखित 08 वाहनों की नीलामी की जानी है-

1. UP 70 AG 0732(हॉन्डा सिटी)	2. UP 32 BG 5362(हॉन्डा सिटी)
3. UP 32 BG 5363(हॉन्डा सिटी)	4. UP 32 BG 5366(हॉन्डा सिटी)
5. UP 70 AG 1000(हॉन्डा सिटी)	6. UP 70 AG 1001(हॉन्डा सिटी)
7. UP 70 AG 1068(इन्नोवा)	8. UP 70 AG 1078(इन्नोवा)

उपरोक्त वाहनों की नीलामी दिनांक 06/01/2024 को प्रातः 11:00 बजे उच्च न्यायालय परिसर में, गैराज के पास की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता नियमानुसार प्रवेश पास लेकर नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व वाहनों का निरीक्षण कर सकते हैं। नीलामी की शर्तें न्यायालय के स्टाफ कार अनुभाग एवं नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में समय 10:00 बजे से 03:00 बजे तक देखी जा सकती है तथा न्यायालय के दूरभाष संख्या 2722500, एक्स्टेन्शन संख्या 22992 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं उक्त नोटिस मा० उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

वरिष्ठ निबंधक

<u>**कार्यालय वरिष्ठ निबंधक, उच्च न्यायालय, लखनऊ**</u>

संख्या :– 08 वाहन

विषय :– वाहनों की नीलामी

तिथि :– 06/01/2024

स्थान :– उच्च न्यायालय परिसर, गैराज के पास

विवरण कार :–

1. UP 70 AG 0732(हॉन्डा सिटी)
2. UP 32 BG 5362(हॉन्डा सिटी)
3. UP 32 BG 5363(हॉन्डा सिटी)
4. UP 32 BG 5366(हॉन्डा सिटी)
5. UP 70 AG 1000(हॉन्डा सिटी)
6. UP 70 AG 1001(हॉन्डा सिटी)
7. UP 70 AG 1068(इन्नोवा)
8. UP 70 AG 1078(इन्नोवा)

<u>**नीलामी के नियम एवं शर्तें**</u>

1. वाहन 'जहाँ है जैसा है' कि स्थिति में नीलाम किया जायेगा।
2. बोली बोलने वालों का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त वाहन का पूर्ण अवलोकन कर लें। नीलाम होने वाले वाहनों का नीलामी से एक दिन पूर्व अर्थात 05.01.2024 को अपरान्ह 2:30 बजे से 4:30 बजे तक उच्च न्यायालय परिसर, गैराज के पास अवलोकन किया जा सकता है।
3. वित्तविभाग, भारत सरकार के नोटिफिकेशन नं० 36/2017–सेन्ट्रल टैक्स(रेट) दिनांकित 13.10.2017, के अधीन जारी सर्कुलर के अनुसार बोलीदाता का जी० एस० टी० में पंजीकरण, पैन कार्ड एवं आधारकार्ड धारक होना चाहिए। इस सम्बन्ध में जी० एस० टी० में अस्थायी पंजीयन (कैजुअल/टेम्परर्री रजिस्ट्रेशन) भी मान्य होगा।
4. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि यह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे।
5. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रुपये 20000/–(रुपये बीस हजार मात्र) नगद जमा करना होगा तथा जी० एस० टी० में पंजीकृत होने का प्रमाण भी संलग्न करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उनकी उक्त धनराशि तुरंत वापस कर दी जाएगी।
6. नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगा जो उक्त धनराशि जमा करेगा।
7. जिसकी अंतिम बोली स्वीकार की जाएगी उसे बोली की 75 प्रतिशत धनराशि तुरंत जमा करनी होगी, तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि को नीलामी से एक सप्ताह में जमा करना होगा। यदि बोली

बोलने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धनराशि उपरोक्त के अनुरूप जमा नहीं करायी जाती है तो बोली निरस्त समझी जाएगी व जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा।

8. नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गयी बोली को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् ही अंतिम रूप से स्वीकृत माना जायेगा।
9. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अंतिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को वाहन ले जाने की अनुमति मिलने के एक सप्ताह के अंदर वाहन को नीलामी स्थल से हटा लेना होगा।
10. उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह वाहन को नियमानुसार अपने नाम हस्तांतरित कराने के बाद ही चलाने में प्रयोग करेगा तथा माननीय उच्च न्यायालय के नाम का प्रयोग किसी भी प्रकार से नहीं करेगा तथा यदि वाहन को नष्ट करना/स्क्रैप के रूप में प्रयोग करना चाहता है तो इसकी भी सूचना नियमानुसार सम्बंधित संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रदान करेगा।
11. उच्चतम बोली बोलने वाला व्यक्ति नीलाम वाहन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, यदि भविष्य में कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।
13. नियमानुसार जी एस टी सहित अन्य कर आदि उच्चतम बोलीदाता के द्वारा देय होगा।
14. वाहन का न्यूनतम निर्धारित मूल्य नीलामी के समय बताया जायेगा।
15. नीलाम किये गए वाहन की उच्चतम बोली बोलने वाले को तब तक सुपुर्दगी नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने बोली की पूर्ण धनराशि का पूरा भुगतान, आर० टी० ओ० ऑफिस द्वारा निर्धारित वाहन का टैक्स, इंश्योरेंस एवं जी० एस० टी० जमा करके वाहन अपने नाम पर हस्तांतरित न करा लिया हो।
16. यदि नीलामी की शर्तों के विषय में कोई विवाद उठता है तो वरिष्ठ निबंधक, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
17. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद लखनऊ में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जाएगी।

वरिष्ठ निबंधक